(10)

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या जी–4–1660/दस—84–925-60-टी0सी0 (दो)

लखनऊ, 1 दिसम्बर, 1984

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त अन्य समस्त नियमों का अतिक्रमण करके राज्यपाल सार्वजनिक उपक्रमों में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में नियोजित सरकारी सेवकों के आमेलन की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का आमेलन नियमावली, 1984

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1—(1) यह नियमावली सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का आमेलन नियमावली, 1984 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,—

(क) "आमेलित व्यक्ति" का तात्पर्य किसी ऐसे सरकारी सेवक से है जिसका किसी उपक्रम को सेवा में आमेलन नियम 5 के अधीन सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

(ख) "प्रतिनियुक्ति" का तात्पर्य सरकार द्वारा किसी सरकारी सेवक की सेवा किसी उपक्रम को बाह्य सेवा पर देने से है।

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(घ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में लोक सेवा में या किसी पद पर पेंशनयुक्त अधिष्ठान में स्थायी रूप में नियुक्त व्यक्ति से है।

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(च) "वैज्ञानिक कर्मचारी" का तात्पर्य किसी ऐसे सरकारी सेवक से है जो वैज्ञानिक अर्हतायें रखता हो और किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो जिसके कर्तव्य और कृत्य राज्यपाल को राय में, वैज्ञानिक प्रकृति के हों।

(छ) "उपक्रम" का तात्पर्य—

(एक) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन निगमित सांविधिक निकाय से है,

(दो) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत किसी सरकारी कम्पनी से है,

(तीन) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 4 के खण्ड (25) के अर्थान्तर्गत किसी स्थानीय प्राधिकारी से है,

(चार) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी वैज्ञानिक संगठन से है जो पूर्णतः या अंशतः केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में हो।

प्रतिनियुक्ति के लिए आयु सीमा

3—किसी भी सरकारी सेवक को 50 वर्ष को आयु प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति के लिए समय सीमा

4—किसी भी सरकारी सेवक को साधारणतया पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपक्रम में आमेलन

5—(1) किसी सरकारी सेवक को उस उपक्रम की सेवा में, जिसमें वह प्रतिनियुक्ति पर हो, आमेलित होने की अनुमति दी जा सकती है, यदि—

(एक) वह अपनी प्रतिनियुक्ति के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष समाप्त होने के पूर्व या 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक से पूर्व, जो भी पहले हो, सरकार को उपक्रम में अपने आमेलन के लिए आवेदन करे और सम्बन्धित उपक्रम भी ऐसी अवधि के भीतर सरकार से उसके आमेलन के लिए प्रस्ताव करे,

(दो) सरकार लोक-हित में ऐसे आमेलन के लिए सहमत हो :

परन्तु कोई ऐसा सरकारी सेवक, जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को किसी उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर हो, ऐसे प्रारम्भ के छः मास के भीतर या खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, या बाद में समाप्त होती हो, अपने आमेलन के लिये आवेदन कर सकता है और उपक्रम उसके आमेलन का प्रस्ताव कर सकता है।

(2) सरकार निम्नलिखित आमेलन पर सहमत न होगी--

(क) समूह "घ" के किसी सरकारी सेवक के उपक्रम में किसी पद पर ।

(ख) ऐसे किसी सरकारी सेवक के जो सरकार के अधीन किसी लिपिक वर्गीय पद पर हो, उपक्रम में किसी लिपिक वर्गीय पद पर ।

(ग) जब तक कि उस सरकारी सेवक को उपक्रम में किसी समकक्ष पद पर यह उपक्रम में किसी ऐसे उच्च पद पर जिस पर वह कम से कम 3 वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर रहा हो, आमेलित न किया जाना हो ।

(घ) जब तक कि उस पद के जिस पर उसे आमेलित किया जाना है, वेतनमान में उसका वेतन उस-प्रक्रम पर निर्धारित न किया जाय जो मूल विभाग में उसके पद के वेतनमान में उसे अनुमन्य वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ते को जोड़कर आये और उसे उसका मूल वेतन माना जाय ।

परन्तु--

(एक) यदि उपक्रम के वेतनमान म ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो उसका वेतन उस प्रक्रम के ठीक नीच के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायगा और धनराशि में अन्तर की कमी को वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जायगा जिसे भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धियों में आमेलित किया जायगा ।

(दो) यदि मूल विभाग के वेतनमान में अनुमन्य वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग उपक्रम के वेतनमान के न्यूनतम वेतन से कम हो, तो उसका वेतन ऐसे न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जायगा और यदि ऐसा योग उपक्रम के वेतनमान की अधिकतम धनराशि से अधिक हो तो उसका वेतन ऐसे अधिकतम पर निर्धारित किया जायगा और धनराशि में अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जायगा ।

(तीन) ऐसा आमेलन किसी ऐसे दिनांक से, जब उपक्रम सरकारी सेवक को अपनी सेवा में आमेलित करने की अपनी सहमति पहली बार सूचित करें, पूर्व के किसी दिनांक से स्वीकार नहीं किया जायगा ।

आमेलन का प्रभाव

6--कोई सरकारी सेवक, जिसका आमेलन किसी उपक्रम में सरकार द्वारा स्वीकार किया जाय, उत्त र प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 में किसी बात के होते हुए भी अपने आमेलन के दिनांक से सरकारी सेवा स निवृत्त माना जायगा और उस दिनांक से उसका अपने मूल विभाग में धारणाधिकार समाप्त हो जायगा ।

सेवा निवृत्ति लाभ

7--कोई ऐसा सरकारी सेवक, जिसे नियम 6 के अधीन सेवानिवृत्त समझा जाय, सरकार के अधीन पेंशन के लिये अपनी अर्हकारी सेवा के आधार पर आनुपातिक पेंशन के साथ मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक का हकदार होगा और उसका भुगतान तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जायगा । यदि अर्हकारी सेवा दस वर्ष से कम हो तो उसे पेंशन के बजाय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के साथ सेवा आनुतोषिक दिया जायगा :

स्पष्टीकरण--सरकारी सेवक अपने सेवानिवृत्ति के दिनांक क पश्चात् प्रवृत्त होने वाले पेंशन नियमों में किसी उदारता के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

अन्यत्र सेवायोजन

8--यदि उपक्रम में किसी आमेलित व्यक्ति की सेवा, चाहे उपक्रम की या आमेलित व्यक्ति की प्रेरणा पर किसी भी रीति से समाप्त हो जाय, तो वह पेंशन से वंचित हो जायगा । यदि वह सरकार की पूर्वलिखित अनुज्ञा के बिना सरकारी सेवा से अपनी निवृत्ति के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी वाणिज्यिक संस्था में सेवा कर लेता है ।

पारिवारिक पेंशन

9-(1) तत्समय लागू सुसंगत नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन का लाभ केवल उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य होगा जो इस नियमावली के अधीन सरकार से पेंशन के हकदार थे और उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य नहीं होगा जो केवल सेवा आनुतोषिक के हकदार हैं (अर्थात् जो सरकार के अधीन 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के पूर्व उपक्रम में आमेलित कर लिये गये हैं) ।

(2) पारिवारिक पेंशन सरकार से केवल उसी दशा में अनुमन्य होगी जब कि उपक्रम से कोई ऐसी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न हो ।

सेवा निवृत्ति के पश्चात असाधारण पेंशन और यात्रा भत्ता

10--नियम 6 में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकार किसी भी असाधारण पेंशन या यात्रा भत्ता के लिये उत्तरदायी न होगी ।

पेंशन की राशिकरण

11--आमेलित व्यक्ति अपनी पेंशन क अंश का राशिकरण उत्तर प्रदेश सिविल पशन (कम्यूटेशन) रूल्स के उपबन्धों के अनुसार कराने का हकदार होगा ।

उपार्जित छुट्टी का अन्तरण

12--उपक्रम, जिसमें कर्मचारी आमेलित किया जाय सरकारी सेवा से सरकारी सेवक के निवृत्ति के समय उसके खाते में जमा उपार्जित छुट्टी और निजी कार्य पर छुट्टी के संबंध में दायित्व लेगा और उसके बदले में सरकार उपक्रम को एकमुश्त धनराशि का भुगतान करेगी जो सरकारी सेवक को ऐसे उपक्रम में उसके आमेलन के दिनांक को देय ऐसी छुट्टी के लिये छुट्टी वेतन के बराबर हो ।

भविष्य निधि का अन्तरण

13--किसी आमेलित व्यक्ति के भविष्य निधि लखा में जमा अभिदान की धनराशि और उस पर ब्याज का भुगतान उसे सरकारी सेवा से उसके निवृत्त होने के समय सुसंगत नियमों के अनुसार किया जा सकता किन्तु, यदि वह ऐसा चाहे, धनराशि का अन्तरण उपक्रम के अधीन उसके नये भविष्य निधि लेखा में किया जा ता है, बशर्ते सम्बन्धित उपक्रम भी ऐसे अन्तरण के लिये सहमत हो । भविष्य निधि के शेष का एक बार इस प्रकार

अन्तरण हो जाने पर, सम्बन्धित व्यक्ति सरकार के लागू भविष्य निधि नियमों द्वारा नियंत्रित न होकर संबंधित उपक्रम के लागू भविष्य निधि नियमों द्वारा नियंत्रित होगा ।

वैज्ञानिक कर्मचारियों के संबंध में सरकार के अधीन की गई सेवा का लाभ

14--(1) नियम 7 के उपबंधों के होते हुये भी, सरकार केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी स्वायत्त वैज्ञानिक संगठन में जिसमें उसके कर्मचारियों के लिये पेंशन संबंधी लाभ है, आमेलित किसी वैज्ञानिक कर्मचारी के संबंध में पेंशन संबंधी दायित्व का निर्वहन कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या ऐसे संगठन की सेवा से निवृत्ति के समय ऐसे संगठन को सेवा आनुतोषिक या, यथा स्थिति मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के अंश के साथ कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर उसके पेंशन के अंश के पूंजीकृत मूल्य का भुगतान करके कर सकती है ।

(2) उपनियम (1) का उपबंध लागू न होगा जब तक कि आमेलित व्यक्ति ने संगठन में आमेलन के लिये अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का एक लिखित विकल्प, जो स्वायत्त संगठन द्वारा सम्यक रूप से पृष्ठांकित होगा, भी न दे कि नियम 7 के अधीन तुरन्त पेंशन प्राप्त करने के बजाय वह उपनियम (1) के अधीन लाभ के लिये विकल्प करता है ।

(3) यदि कोई कर्मचारी नियम 8 के अधीन पेंशन संबंधी लाभ से वंचित हो जाता है तो संगठन को पेंशन या आनुतोषिक में सरकारी अंश के भुगतान का प्रश्न नहीं उठेगा ।

आज्ञा से
डा० जे० पी० सिंह,
सचिव ।

UTTAR PRADESH SHASAN

VITTA (SAMANYA) ANUBAGH-4

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G-4-1660/X—84-925/60/T.C. II, dated December 1, 1984 :

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. G.4-1660/X—84-925/60/T.C. II, dated December 1, 1984

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all other rules in this regard the Governor is pleased to make the following rules to regulate the conditions of absorption of Government Servants, employed in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh, in Public Under Takings.

THE UTTAR PRADESH ABSORPTION OF GOVERNMENT SERVANTS IN PUBLIC UNDERTAKINGS RULES, 1984

1. *Short title*—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Absorption of Government Servants in Public Undertakings Rules, 1984.

(2) They shall come into force at once.

2. *Definitions*—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(*a*) "absorbed Person" means a Government Servant whose absorption in the service of an undertaking has been accepted by the Government under Rule 5;

(*b*) "deputation" means the lending by the Government of the service of a Government Servant, on foreign Service to an undertaking;

(*c*) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(*d*) "Government Servant" means a person appointed to a Public Service or a post in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh in permanent capacity in a pensionable establishment;

(*e*) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(*f*) "Scientific Employee" means a Government Servant possessing scientific qualifications appointed on such post as in the opinion of the Governor involves duties and functions of a scientific nature;

(*g*) "Undertaking" means—

(i) a statutory body incorporated by or under any Uttar Pradesh Act or Central Act.

(ii) a Government company within the meaning of section 617 of the Companies Act. 1956.

(iii) a Local Authority within the meaning of caluse (25) of section 4 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904.

(iv) a scientific organisation registered under the Societies Registration Act, 1860, wholly or partly under the Control of the Central Government or any State Government.

3. *Age limit for deputation*—No Government servant shall be permitted to go on deputation after he attains the age of 50 years.

4. *Time Limit for deputation*—No Government Servant shall ordinarily be permitted to remain on deputation for a period exceeding five years.

5. *Absorption in Undertaking*—(1) A Government Servant may be permitted to be absorbed in the service of the undertaking in which he is on deputation, if—

(i) he applies to the Government for his absorption in the undertaking before the expiry of three years from the date of commencement of his deputation or before the date on which he attains the age of 53 years, whichever be earlier, and the undertaking concerned also moves the Government for his absorption within such period, and

(ii) The Government agrees to such absorption in Public interest:

Provided that a Government Servant who is on deputation in an undertaking on the date of commencement of these rules may apply and the undertaking may move for his absorption within six months of such commencement or within the period specified in clause (i) whichever expires later.

(2) The Government shall *not* agree to absorption :—

(*a*) of a Government servant belonging to Group 'D' in any post in the undertaking;

(*b*) of a Government servant who holds a ministerial post under the Government, in a ministerial post in the Undertaking;

(*c*) unless the Government servant is to be absorbed in an equivalent post in the undertaking or to such higher post in the undertaking as he has held on deputation for at least three years;

(*d*) unless his pay in the pay scale of the post on which he is to be absorbed is fixed at the stage arrived at by adding the deputation allowance to the pay admissible to him in the pay scale of his post in the parent department, treating it as his basic pay:

Provided that:—

(i) if there is one such stage in the pay scale of the undertaking, his pay is fixed at the stage next below and the difference is granted as personal pay, liable to be absorbed in future increments;

(ii) if the aggregate of the pay admissible in the pay scale of parent department and the deputation allowance falls short of the minimum in the pay scale of the undertaking his pay is fixed at such minimum and if such aggregate exceeds the minimum of the pay scale of the undertaking, his pay is fixed at such maximum and the difference is granted as personal pay.

(3) Such absorption shall not be accepted with effect from any date prior to the date on which the undertaking first expresses its agreement to absorb the Government Servant in its service.

6. *Effect of absorption*—A Government servant whose absorption in an undertaking is accepted by the Government shall, not withstanding anything contained in rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules, be deemed to have retired from Government service with effect from the date of his absorption and his lien in his parent department shall stand terminated from that date.

7. *Retirement benefits*—A Government servant deemed to have retired under Rule 6 shall be entitled to proportionate pension, along with death-*cum*-retirement gratuity, on the basis of his service under the Government qualifying for pension, the payment whereof shall start immediately. If the qualifying service is of less than 10 years, then instead of pension, service gratuity shall be payable along with death-*cum*-retirement gratuity.

Explanation—The Government servant shall not be entitled to claim the benefit of any liberalisation in pension rules coming into force after the date of his retirement .

8. *Other employment*—Where the service of an absorbed person in the undertaking terminates in any manner at the instance either of the undertaking or of the absorbed person he shall lose the pension if he takes up any commercial employment within a period of two years from the date of his retirement from Government service without the prior written permission of the Government.

9. *Family Pension*—(1) The benefit of family pension under the relevant rules applicable for the time being shall be admissible only to the families of those who were entitled to pension from Government under these rules and not to the families of those who are entitled only the service gratuity *i.e.* who were absorbed in the Undertaking before rendering 10 years qualifying service under the Government.

(2) Family pension shall be admissible from the Government only where no such family pension is admissible from the undertaking.

10. *Extraordinary Pension and travelling allowance after retirement*—The Government shall not be responsible for Extraordinary pension or Travelling Allowance after retirement referred to under rule 6.

11. *Commutation of pension*—An absorbed person shall be entitled to get a part of his pension commuted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Civil Pension (Commutation) Rules.

12. *Transfer of earned leave*—The undertaking in which the employee is absorbed shall take over the liability in regard to earned leave and leave on private affairs that the Government servant has to his credit at the time of his retirement from Government service and in return Government shall pay to the Undertaking a lump sum equal to leave salary for such leave due to the Government servant on the date of his absorption in such Undertaking.

13. *Transfer of Provident Fund*—The amount of subscriptions together with interest thereon, standing in the Provident Fund Account of an absorbed person may be paid to him as per relevant rules at the time of his retirement from Government service but, if he so desires, the amount can be transferred to his new Provident Fund Account under the Undertaking provided the concerned Undertaking also agrees to such transfer. Once such a transfer of Provident Fund balance has taken place, the person concerned shall be governed by the Provident Fund Rules applicable to the undertaking and not by the Provident Fund. Rules applicable to the Government.

(9)

14. *Benefit of service rendered under Government in respect of scientific employees*—(1) Notwithstanding the provisions of rule 7, the Government may discharge its pensionary liability in respect of Scientific employees absorbed in any autonomous scientific organisations of the Central or any State Government having pensionary benefits for its employees, by payment of service gratuity or as the case may be the capitalised value of its share of pension, on the basis of length of service together with the share of death-*cum*-retirement gratuity to such organisation at the time of death or retirement of the employee from the service of such organisation.

(2) The provision of sub-rule (1) shall not apply unless the absorbed person had along with his application for absorption in the organisation also given a written option, duly endorsed by the autonomons organisation, to the effect that instead of receiving pension under rule 7 he opts for the benefit under sub-rule (1).

(3) Whereas an employee loses pensionary benefits under rule 8 the question of payment of Government's share of pension or gratuity to the organisation shall not arise.

By order,
J. P. SINGH,
Sachiv.

ते;
ाग्रवाल,
चिव ।

-ए0 पी0 81 सा0 वित्त--24-8-84 (1663)--1984—12,000 (प्रो0) ।